जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : *यूनिवर्सिटी*
दूरभा० : (0751-244228 (कार्यालय)
ई-मेल : E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
Website :http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10546 दिनांक : 13/03/2024

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषयः- प्रदेश में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र अनुसार अचल संम्पत्ती एवं स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन करने संबंधी की शर्त पूर्ति नहीं करने तक सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाने के सबंध में।

संदर्भः- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 127/60/आउशि/सम्बद्धता/24 भोपाल दिनांक 20.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन द्वारा जारी अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी जारी मार्गदर्शिका दिनांक 10.01.2020 के अनुसार नवीन अशासकीय महाविद्यालयों हेतु अचल सम्पत्ति में 03 वर्ष की छूट एवं ऐसे महाविद्यालय जो किराये के भवन में संचालित किये जा रहें हैं उनको अधिकतम 05 वर्ष तक किराये के भवन में महाविद्यालय संचालन की अनुमति शर्तो के साथ जारी की गई थी किन्तु कई महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शर्तो की पूर्ति नहीं की गयी है जिसके कारण आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शर्तो की पूर्ति नहीं करने वाले महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 में सम्बद्धता प्रदान नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त संबध में समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक को सूचित किया जाता है कि, वे सत्र 2024-25 की सम्बद्धता प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा विभाग की उपरोक्त शर्त पूर्ति का प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। तभी सत्र 2024-25 की सम्बद्धता संबंधी प्रकरण पर विचार किया जाना संम्भव होगा। महाविद्यालय द्वारा अचल सम्पत्ती में छूट की शर्त पूर्ति प्रमाणीकरण एवं स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन का स्वीकृति आदेश आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त नहीं किये जाने पर संबंधित महाविद्यालय को सत्र 2024-25 की सम्बद्धता प्रदान किये जाना संभव नहीं होगा। जिसके लिये महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

Disk:E-Tarun Shrivastava/All Letter's 2024-25/D.C.D.C./J.U

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष कमांक– 2554763

"website"

कमांक– 127 / 60 /आउशि/सम्बद्वता/24. भोपाल, दिनांक–20 /02/2024.

प्रति,

कुल–सचिव,
समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

DCPC 20/2

विषयः– प्रदेश में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अचल सम्पत्ति की शर्त की पूर्ति करने तक सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाने बाबत्।

----00----

प्रदेश में नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को इस कार्यालय के पत्र कमांक 1918/368//आउशि/सम्बद्धता/19 दिनांक 10/01/2020 द्वारा प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु 13 के अन्तर्गत अचल संपत्ति में तीन वर्ष की छूट के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे।

2. मार्गदर्शिका में नवीन अशासकीय महाविद्यालयों हेतु अचल संपत्ति के संबंध में यह प्रावधान है कि नगरीय क्षेत्र में 02 एकड़ भूमि तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम से पांच किलोमीटर की परिधि में होना आवश्यक है।

3. कतिपय नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को अचल संपत्ति में तीन वर्ष की छूट के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, लेकिन तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी शर्त की पूर्ति नहीं की गई है।

अतः प्रदेश में सत्र 2020–21 से संचालित ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों, जिन्हें अचल संपत्ति में तीन वर्ष की छूट के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया था और उनके द्वारा उक्त शर्त की पूर्ति समय सीमा में नहीं की गई है, ऐसे महाविद्यालयों को चिन्हित कर भले ही 2024–25 के लिये पाठ्यक्रमों की निरन्तरता प्रदान कर दी गई हो, उक्त शर्त की पूर्ति संबंधी आयुक्त उच्च शिक्षा के प्रमाणीकरण तक सत्र 2024–25 से सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाई जाती है।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

19/2/24

21/2/2024

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ.कमांक– 128 / 60 /आउशि/सम्बद्वता/24. भोपाल, दिनांक–20 /02/2024.

प्रतिलिपि :–

1– निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2– स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

3– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।

4– प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

5– प्राचार्य, समस्त संबंधित अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

6– वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी.), भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

R-692
21/2/24

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक– 2554763

"website"

क्रमांक– 125 / 61 /आउशि/सम्बद्वता/24. भोपाल, दिनांक– 20 /02/2024.

प्रति,

कुल–सचिव,
समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

विषयः– प्रदेश में किराये के भवन में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन करने संबंधी शर्त की पूर्ति करने तक सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाने बाबत्।

——00——

प्रदेश में नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को किराये के भवन में संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता रहा है।

2. सत्र 2018–19 के पूर्व में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी प्रचलित मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में अशासकीय महाविद्यालय संचालित किया जा सकता था। वर्तमान में प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी दिनांक 10/01/2020 को जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकतम पांच वर्ष तक किराये के भवन में अशासकीय महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है।

अतः प्रदेश में संचालित ऐसे अशासकीय महाविद्यालय, जिन्हें किराये के भवन में संचालन करनें की अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है, द्वारा स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन का स्वीकृति आदेश आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त नहीं किया गया है को, चिन्हित कर भले ही 2024–25 के लिये पाठ्यक्रमों की निरन्तरता प्रदान कर दी गई हो, उक्त शर्त की पूर्ति संबंधी आयुक्त उच्च शिक्षा के प्रमाणीकरण तक सत्र 2024–25 से सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाई जाती है।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

19/2/24

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ.क्रमांक– 126 / 61 /आउशि/सम्बद्वता/24. भोपाल, दिनांक– 20 /02/2024.

प्रतिलिपि :–

1– निज सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2– स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
3– समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4– प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5– प्राचार्य, समस्त संबंधित अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
6– वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी.), भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

R-693
21/2/24